creased capital in-flows both from bilateral and multilateral sources consistent teral and multilateral sources consistent with financial prudence and attracting direct foreign investment.

**छोटे किसानों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी निर्देश**

93. **श्री रामनरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे किसानों को सरल ऋण प्रदान करने में उदार नीति अपनाने हेतु बैंकों को कोई निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नये निर्देशों के अधीन छोटे और मध्यम किसानों को ये ऋण कब तक प्रदान किये जायेंगे ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद)** : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश के सभी किसानों को कृषि और इससे संबद्ध कार्यों को स्वयं करने या इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई किसी योजना के माध्यम से करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों का निरंतरता के आधार पर वित्त पोषण करना ऋणदात्री संस्थाओं के सामान्य ऋण परिचालनों का एक भाग है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋण का 18 तक कृषि को प्रत्यक्ष वित्त (संबद्ध कार्यों सहित) के रूप में देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में यह निर्धारित किया गया है कि 25,000/–रुपए तक के सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अंदर-अंदर और 25,000/–रुपए से अधिक के सभी ऋण आवेदन पत्रों को 8–9 सप्ताह के अंदर-अंदर निपटा दिया जाना चाहिए।

किसानों को और विशेष रूप से छोटे और सीमांतिक किसानों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं।

1. 7,500/–रुपए तक के ऋणों पर ब्याज को 11.5% वार्षिक की कम दर पर रखा गया है।

2. 2 लाख रुपए तक के सावधि ऋणों को रियायती दर पर प्रदान किया जाता है।

3. छोटे और सीमांति किसानों द्वारा प्राप्त किए गए फसल ऋणों के मामले में ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. फसल खराब हो जाने पर देय राशि को 3–5 वर्ष की अवधि के लि पुनः निर्धारित किया जाना चाहि और किसानों को नए ऋण दिए जा चाहिए।

5. 10,000/–रुपए तक के ऋ क लिए तीसरी पार्टी की गारंटी अथ सपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दि जाना चाहिए।

6. कृषि क्षेत्र म वतमान देय राशिया पर चक्रवृद्धि ब्याज नहा लगाया जाना चाहिए।

7. ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी का उपयुक्त शक्तिया प्रत्यायोजित करना ताकि अधिकाश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सक।

**Export opinion about World Bank's loans**

94. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to a Press news item captioned "More loans risky for India" as reported in the 'Hindustan Times' of 27th January, 1993;